

बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा : राँची

पत्रांक: जी0ओ0 / स्थान / विविध / 21-22 / 2232

दिनांक 13 जुलाई, 2021

परिपत्र Circular

संस्थान के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों के बारे में जागरूकता Awareness of Conduct, Discipline and Appeal Rules of Institute

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थान के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (Conduct, Discipline and Appeal Rules) के कंडिका 19 के अन्तर्गत् संस्थान के कर्मचारियों (शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक) को कार्यस्थल/सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय या नशीली दवाओं का सेवन वर्जित है, साथ ही मादक पेय या नशीली दवाओं का सेवन कर संस्थान के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बाधा डालना दण्डनीय अपराध है।

It is hereby informed that all employees (Academic and Non academic) are prohibited from consuming intoxicating drinks or drugs at their workplace/public place, under clause 19 of the Institute Conduct, Discipline and Appeal rules.

इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों (शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक) पर संस्थान के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (Conduct, Discipline and Appeal Rules) के कंडिका 23 के अनुसार दण्डनीय अपराध है जिसके अन्तर्गत् दोषी कर्मचारी को संस्थान की सेवा से निष्कासित भी किया सकता है।

Defaulter shall be punished as per provision of Rule 23 of Conduct, Discipline and Appeal Rules and may also be expelled from the service.

विभागाध्यक्ष(HoD)/प्रभारी (शैक्षणिक)/अनुभाग प्रभारी (Section In-charge)/निदेशक, बी0आई0टी0 ऑफ कैम्पसेस/निदेशक, युनिवर्सिटी पोलीटेक्निक से अनुरोध है कि यदि कोई कर्मचारी मादक पेय या नशीली दवाओं का सेवन कर अपने कार्य पर उपरिथित होते हैं तो चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी जाँच हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए इसकी सूचना कुलसचिव महोदय को देंगे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

The Head/In-charge of the Academid Department / Section In-charge are requested to refer such defaulters to Medical Officer, and subsequently submit the report to the undersigned for further action.

2232

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- 1— सभी संकायाध्यक्ष
- 2— सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी (शैक्षणिक)/अनुभाग प्रभारी
- 3— निदेशक, बी0आई0टी0 ऑफ कैम्पसेस
- 4— निदेशक, युनिवर्सिटी पोलीटेक्निक
- 5— प्रभारी आचार्य, (इन्फोमेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी/इनर्जी मैनेजमेन्ट/वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट/केन्द्रीय लाईब्रेरी/टेक्नीप को-ऑडिनेटर)
- 6— सह-संकायाध्यक्ष
- 7— उप नियंत्रक/उप वित्त पदाधिकारी
- 8— सभी उप—कुलसचिव
- 9— प्रशासनिक पदाधिकारी(स्थान एवं मास)
- 10— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
- 11— कुलपति के आप्त सचिव
- 12— सचिका